रामचन्द्र V/S जवरलाल 73/2020

24/8/20 बकुलाम उपा॰ बहस वकील उभय पक्षकारान् सुनी गई। मामला वास्ते आदेश दिनांक 9/9/20 को पेश हो।

[signature]

9.9.20: बकुलाम उपा॰ वकील वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिख जाकर शामिल किया गया। डिक्री बनाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :- रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 73/2020

वादी –

रामचन्द्र पुत्र भागुराम जाति कुम्हार
निवासी सांजू तहसील डेगाना जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. भंवरलाल पुत्र भागुराम जाति कुम्हार
2. पन्नालाल पुत्र भागुराम जाति कुम्हार
निवासीगण–सांजू, तहसील–डेगाना (नागौर)
3. तहसीलदार जायल
4. शाखा प्रबंधक आई.सी.सी.आई. बैंक रोल तहसील जायल

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

वादी की ओर से श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री इस्लामुदीन काजी
प्रतिवादी संख्या 3 राजपेरोकार उपस्थित।
प्रतिवादी संख्या 4 उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 09.09.2020

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 आपस में भाई है तथा एक परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पुश्तैनी बडेर के खेत खसरा नं 96, 276/158, के रूप में मौजा कालवी तहसील जायल मे तथा खसरा नं. 338 ग्राम सांजू तहसील में आये हुये। उक्त खेताय मे से ग्राम सांजू की भूमि खसरा नं. 338 तथा ग्राम कालवी की भूमि खसरा नं. 276/158 पूर्व में इनके पिता स्व. भागुराम के नाम दर्ज थी। स्वर्गवास के बाद तीनों भाईयों के नाम दर्ज हो गई। लेकिन ग्राम कालवी तहसील जायल के खसरा नं. 96 की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की सामलाती खरीद से प्रतिवादी संख्या 1 बड़ा भाई होने से रजिस्ट्री उसके नाम करवा दी। जबकि उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती कमाई से खरीद की हुई है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में वादी एवं का नाम नही होने से वाद घोषणा खातेदारी एवं बंटवारा खेताय पेश किया गया है। मुतदाविया खेताय की भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने आपसी रजामंदी से वाद के पेरा

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.), जायल

सहायक कलेक्टर
(एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

संख्या 2 अनुसार बंटवारा कर काबिज हो गये है। परतु राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 की ओर से अधिवक्ता श्री इस्लामुदीन काजी ने वकालात नामा व इकबालिया जवाब दावा पेश किया। इसी प्रकार प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 4 से भूमि रहन मुक्त होने का प्रमाण पत्र वकील वादी ने पेश किया। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का इकबालिया जवाब तथा प्रतिवादी संख्या 3 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्यवादी में शपथ पत्र गवाह रामचन्द्र, कालूराम, भंवरलाल के प्रस्तुत किये गये जिस पर गवाह के बयान कलमबद्ध किये गये। जो शामिल पत्रावली है। दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर नकल जमाबन्दी ग्राम कालवी तहसील जायल संवत् 2073-2076 खाता संख्या 152/125, 148/120 प्रदर्श-1, 2 नकल जमाबंदी ग्राम सांजू तहसील जायल सम्वत् 2072-2075 खाता संख्या 510/311 प्रदर्श- 3 की पेश की। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1,2 द्वारा पत्रावली में इकबालिया जवाब में वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व प्रतिवादीगण संख्या 1 2 के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है साथ ही पत्रावली में वकील वादी ने प्रतिवादी संख्या 4 के पास ग्राम कालवी तहसील जायल के खसरा नं. 96 जो कि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा के रहन दर्ज होने से पुनः रहन मुक्त होने का प्रमाण पत्र पेश है। बंटवाड़े के दावे में पक्षकारो के हिस्सों का संलग्न जमाबंदी अनुसार बंट किया जाता है एवं हस्तगत प्रकरण में समस्त पक्षकारान वाद में संयाजित है, चूंकि हस्तगत प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा माफिक नजरी नक्शानुसार बंटवारा चाहा है तथा प्रत्येक खातेदार काश्तकार के कटाणी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में प्रदर्शित हो रहा है। फलतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुये न्यायिक दृष्टिकोण से तौर पर स्वीकार जाकर डिक्री किया जाना न्यायालय मत में उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

09-09-2020
सहायक कलक्टर
(एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 73/2020
रामचन्द्र बनाम भंवरलाल वगैरह

— : : आदेश : —

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :—

1. वादी रामचन्द्र के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में ग्राम कालवी तहसील जायल के खसरा नं. 96 रकबा 5.4875 हैक्टेयर भूमि में से 4.1925 हैक्टेयर नजरी नक्शा अनुसार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा कालवी तहसील जायल के खसरा नं. 96 रकबा 5.4875 हैक्टेयर भूमि में से 1.2950 हैक्टेयर नजरी नक्शा अनुसार, ग्राम कालवी तहसील जायल के खसरा नं. 276/158 रकबा 1.4973 हैक्टेयर पुरा घोषित किया जाता है।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा तैयार हो। तदनुसार पालना हेतु तहरीर तहसीलदार जायल को जारी हो।

09.09.2020
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 09.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

09.09.2020
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 73/2020
रामचन्द्र बनाम भंवरलाल वगैरह

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 73/2020

वादी –
रामचन्द्र पुत्र भागुराम जाति कुम्हार निवासी सांजू तहसील डेगाना जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –
1. भंवरलाल पुत्र भागुराम
2. पन्नालाल पुत्र भागुराम जातियान–कुम्हार निवासीगण–सांजू, तहसील–डेगाना (नागौर)
3. तहसीलदार जायल
4. शाखा प्रबंधक आई.सी.सी.आई. बैंक रोल तहसील जायल

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–
वादी की ओर से श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री इस्लामुदीन काजी
प्रतिवादी संख्या 3 राजपेरोकार उपस्थित।
प्रतिवादी संख्या 4 उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1, 2 हाजरी इस्लामुदीन काजी प्रतिवादी संख्या 03 व 04 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –

1. वादी रामचन्द्र के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में ग्राम कालवी तहसील जायल के खसरा नं. 96 रकवा 5.4875 हैक्टेयर भूमि में से 4.1925 हैक्टेयर नजरी नक्शा अनुसार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा कालवी तहसील जायल के खसरा नं. 96 रकवा 5.4875 हैक्टेयर भूमि में से 1.2950 हैक्टेयर नजरी नक्शा अनुसार, ग्राम कालवी तहसील जायल के खसरा नं. 276/158 रकबा 1.4973 हैक्टेयर पुरा घोषित किया जाता है।

09.09.2020
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.09.2020 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराज हुक्मनामा			बाबत हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

09.09.2020

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

Plot Report

http://bhunaksha.raj.nic.in/bhunaksha...

	राजस्थान सरकार	NIC-BHUNAKSHA
	खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)	दिनांक : 18/06/2020 04:00:01 PM
जिला :नागौर	तहसील : जायल	भू. अ. नि. क्षेत्र :लूणसरा
पटवारी हल्का :भावला	ग्राम : कालवी	

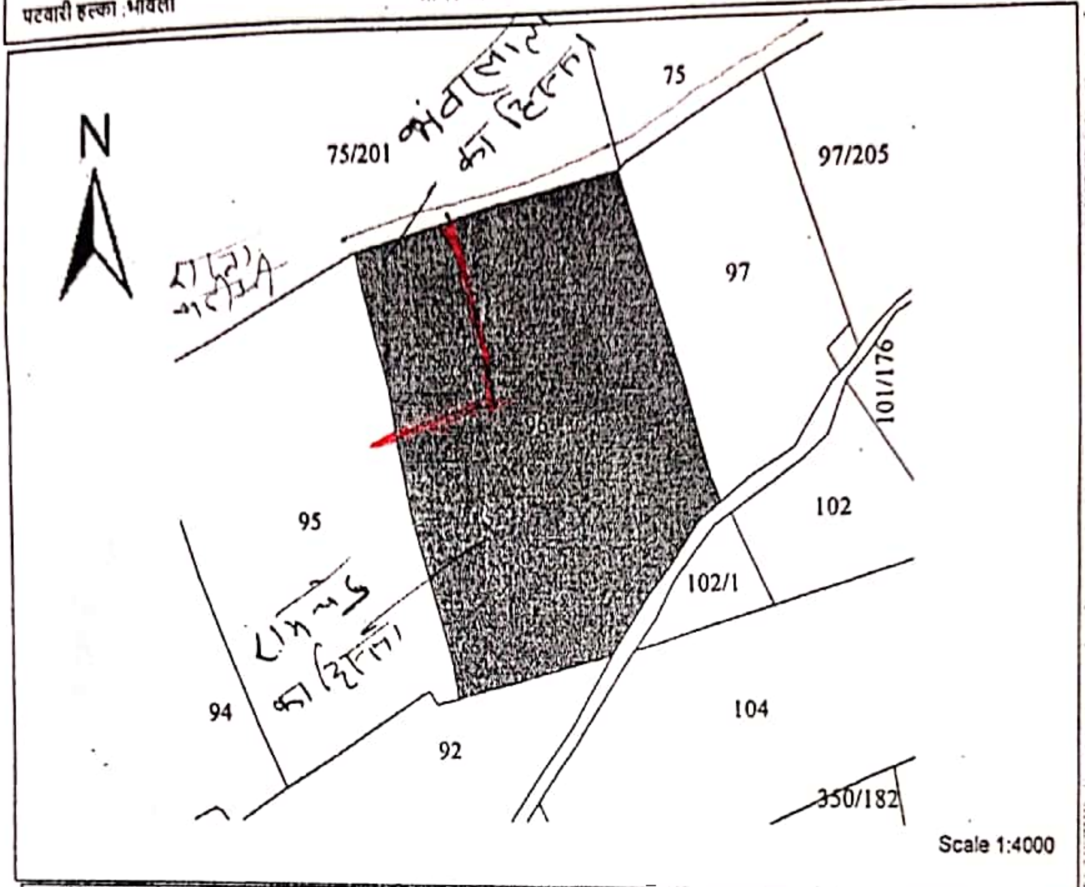

खसरा संख्या :96 क्षेत्रफल : 5.4875 Hectare खाता संख्या : 152पुराना खाता संख्या :125
भूमि किस्म(क्षेत्रफल लगान): बारानी 3 [5.4875, 16.96]
1.) भंवरलाल पुत्र भागूराम हिस्सा- पूर्ण जाति- कुम्हार(प्रजापति) सा. सांजू खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा डील

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

C.S.

शैलेन्द्र माली
पार्टनर

सहायक कलक्टर
(एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner